निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का सिक्किम राज्य को लागू होना

का0 आ0 425 (अ), तारीख 23 जून,1976--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम-- इन नियमों का नाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 1976 है ।

2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का सिक्किम को लागू होना-- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 25क के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960, जहां तक उसका संबंध किसी राज्य में किसी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली को तैयार करने या पुनरीक्षण से है, सिक्किम राज्य में किसी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली को तैयार करने या उसका पुनरीक्षण करने के संबंध में लागू होगा ।

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(ii), पृष्ठ 1389]